

उत्तराखण्ड के एसआई भगवान सहि को मलिा केंद्रीय गृहमंत्रि पदक

चर्चा में क्यों?

15 अगस्त, 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड पुलिस के उपनरीक्षक भगवान सहि महर को ऑनर कलिंग करने वालों को मृत्युदंड दिलाने के लिये केंद्रीय गृहमंत्रि पदक से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- उन्हें यह पदक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में दिया गया।
- वदिति है कि 18 मई, 2018 को हरदिवार के खानपुर में स्वजनों के वरिद्ध जाकर शादी करने पर दो सगे भाईयों कुलदीप व अरुण और ममेरे भाई राहुल ने अपनी बहन प्रीति की कुलहाड़ी व फावड़े से काटकर नृशंस हत्या कर दी थी।
- इस संबंध में मृतका के पति बृजमोहन की तहरीर पर थाना खानपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसकी वविचना तत्कालीन समय में थानाध्यक्ष खानपुर के पद पर तैनात उपनरीक्षक भगवान सहि महर द्वारा की गई थी।
- उपनरीक्षक भगवान सहि महर द्वारा त्वरति गति से वविचना करते हुए अभयिक्तों के वरिद्ध 13 अगस्त, 2018 को आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषति कर दिया गया।
- उनके द्वारा एकत्र किये गए साक्ष्यों, समय पर प्रस्तुत किये गवाहों, वैज्ञानिक साक्ष्य एवं ठोस पैरवी के अधार पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश लक्षर, हरदिवार द्वारा अभयिक्त कुलदीप, अरुण व राहुल को धारा 302 भादव के रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी के अपराध के लिये मृत्युदंड एवं अर्थदंड से दंडित किया गया था।

